भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2020
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना

2020. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के प्रारंभ होने से अब तक तमिलनाडु में स्वीकृत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या, संवितरित की गई क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी तथा राज्य को जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में बीज पूंजी सहायता प्राप्त करने वाले सामुदायिक सदस्यों तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की कुल संख्या कितनी है;

(ग) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत तमिलनाडु में स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं तथा अवसंरचना इकाइयों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को वर्तमान में प्रचलित केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु के करूर जिले में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों, शीत-श्रृंखलाओं अथवा मिनी फूड पार्कों की स्थापना के लिए राज्य सरकार अथवा निजी संस्थाओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

क) दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत , तमिलनाडु राज्य में 19,279 व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं और क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी के लिए 17,632 ऋण वितरित किए गए हैं। योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य को केंद्र के हिस्से के 391.20 करोड़ रुपये आवंटित/जारी किए गए हैं।

ख) इस योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य में 33,768 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उद्यमों के 36,697 सदस्यों के लिए 141.42 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है।

(ग) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु में 171 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 117 परियोजनाएं पूर्ण/परिचालन में हैं। घटक-वार स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई घटक योजनाएँ**	**पूर्ण/परिचालन**	**कार्यान्वयन के अंतर्गत**	**कुल स्वीकृत परियोजनाएँ**
1	मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी)	0	1	1
2	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला)	15	11	26
3	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना योजना (एपीसी)	3	11	14
4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)	26	17	43
5	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना	8	1	9
6	ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)	2	2	4
7	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना	22	1	23
8	अनुसंधान एवं विकास	41	10	51
		117	**54**	**171**

(घ) मंत्रालय स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है, लेकिन पात्र परियोजनाओं की स्थापना या विस्तार के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाएं मांग-आधारित प्रकृति की हैं और तमिलनाडु सहित पूरे देश से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधियों की उपलब्धता के अधीन, योग्यता के आधार पर स्वीकृत पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु के करूर जिले में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, शीत श्रृंखला या मिनी फूड पार्क स्थापित करने की किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।